सी.एच. आदि योजनाओं का प्रचार–प्रसार व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जनजातिय कार्यनीति के अन्तर्गत मुख्यतः छः जिलें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बारां में निम्न गतिविधियों द्वारा लाभान्वित किया जायेगाः–

- स्वास्थ्य प्रदाताओं, समुदाय के लिए आई.ई.सी. (सूचना,शिक्षा,संचार)/बी.सी.सी. (व्यवहार परिवर्तन)
- चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण और आवश्यक सामग्री, दवाईयां आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
- वर्तमान सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण।
- सार्वजनिक निजी सहभागिता

आर.एच.एस.डी.पी. में स्वयं सेवी संस्था व निजी क्षेत्र की भागीदारी

स्वयं सेवी संस्था

स्वयं सेवी संस्थायें, जन समूह में स्वास्थ्य के प्रति बदलाव लाने में सेवा प्रदाताओं को सहयोग करने में विशेष योगदान देंगी। इसके साथ, एन.जी.ओ. अन्य वर्गो जैसे पंचायती राज के सदस्यों, निजी चिकित्सकों व पारम्परिक ईलाज करने वालों के साथ समन्वय स्थापित करेगें।

निजी क्षेत्रः पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल

समय पर उचित व्यय वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निजी व सरकारी (पब्लिक) क्षेत्र मे बेहतर तालमेल हेतु यह मॉडल कार्य करेगा। इससे सरकारी क्षेत्र के कोष, उपकरण व ढॉचागत सुविधाओं का उपयोग भी बढ़ेगा।

परियोजना के अन्तर्गत निजी–सर्वाजनिक सहभागिता को बढ़ाने के लिये निम्न कार्यनीति के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों विशेषकर गरीब, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती आवश्यकता के अनुसार समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।

- स्वयं सेवी संस्थाओं और स्थानीय गैर–सरकारी चिकित्सकों की सहभागिता को बढ़ाना।
- जनजाति क्षेत्रों में चल चिकित्सा (मोबाईल क्लिनिक) द्वारा दूर–दराज के पिछड़े लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराना।
- प्रजनन–शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) शिविरों का सुदृढ़ीकरण
- समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना (सी.बी.एच.आई)

समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमाः

इसका उद्देश्य राज्य के अलाभान्वित व पिछड़े वर्गो को स्वास्थ्य के अप्रत्याशित खर्च से बचाव कराना है । इससे उन्हें समय पर अधिक गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी । इससे गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सुरक्षा की भावना पैदा होगी जिससे वे समय पर सही एवं उत्तम इलाज करावा सकेगें। स्वास्थ्य सेवाएं मंहगी होने के कारण गरीब वर्ग के लोग आर्थिक तंगी का सामना करते है तथा उपलब्ध निजी सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा सकते क्योंकि निजी चिकित्सकों को भी निर्धन वर्ग का इलाज करने में सही मूल्य प्राप्त नहीं होता । इससे समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पंहुच सुनिश्चित होगी तथा आम लोगों की सेवा के चयन में निर्णय क्षमता बढ़ेगी।